

फर्द अहकाम

जिलत- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकाम-गंगापुर सिटी

अमर सिंह बनाम समय सिंह

मु.मु- मुतफर्रिक धारा 235 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं०. 13 सन्, 2023

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
3	<p>राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(18)राज-1/2022-(14) दिनांक 5.8.2023 के द्वारा गंगापुर सिटी नवगठित जिला घोषित होने के कारण यह पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर करौली से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावें एवं संबंधित पक्षकारान को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.9.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M.P.</p> <p>26.9.23 पत्रावली पेश हुई। जज की कोर्ट में श्री ललित कुमार शर्मा (उपरोक्त न्यायालय) द्वारा पेश किया। P.O साहब द्वारा कोर्ट कार्य में लक्षित है। पत्रावली दिनांक 29.9.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सि.स.)</p> <p>29.9.23 पत्रावली पेश हुई। जज की कोर्ट से श्री ललित कुमार शर्मा (उपरोक्त न्यायालय) द्वारा पेश किया। जज ने भेषात कराया है श्री जज की उक्त जालना पत्र को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। Not Press में जारी करना चाहिए।</p> <p>कोर्ट: करीब जज की सहायता के आधार पर जज को जालना पत्र ड्यूटी धारा 235 RTA से जारी करने पर खासिय किया जाता है। पत्रावली के तलब शुल्क में नम्बर से कट हो आइल करीब दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">M.P.</p> <p style="text-align: center;">जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज०)</p>	

Not Press
File in my file